

# High Court of Judicature at Allahabad

## Stamp Report

CNR Number	UPHC050087352025
Token Number	352812025
Token Date	07-01-2025
Party	JITENDRA KUMAR Vs STATE OF UP AND ANOTHER
Stamp (Rs.)	35.00
Intime Upto	-
Cognizable By	ABAIL/SB
Caveat Filed	No
Caveat Detail	
District	AGRA
Cause of Action Arises At	AGRA
Category	- 401564
Remarks, if any	
File Cleared On	08-01-2025
Defect Details	

### Stamp Reporter

Sachin Kumar Gupta



1/1



# High Court of Judicature at Allahabad

Report Based on Given Anticipatory Bail Details

Date of Printing : 07-01-2025

**Previous Reporting Details :**

Crime No. : 304

Crime Year : 2024

Thana : KIRAWALI

District : AGRA

File No.	Date of Rep.	Applicant Name	Parentage	Under Section	Adv. Name
35281	07-01-2025	JITENDRA KUMAR	YADRAM	3/7 EC ACT	1 MAHESH KUMAR KUNTAL 2 SURENDRA MOHAN SHARMA

High Court Number details

**Disclaimer -**

Above report is as per information available in computer database on the given search criteria.

Same may not be complete/accurate, section may further verify

the above details from records available.

Signature of Data Prepared by  
Stamp Reporter (Cr.) section

**Remarks if any**

Signature of Stamp Reporter

Stamp Reporter (Cr.) section

07-01-2025 11:58:29

**Disclaimer:** Report generated from CIS by new program/application Discrepancies found if any , be brought to knowledge of O.S.D.(J) Computers.


**Based On Information Fed By Bench Secretary Subject to further verifications**



For Hon'ble Senior / Another Judge

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE  
AT ALLAHABAD

Paper Book  
IN THE MATTER



Court No. ....

Group *Pratik Pardon*  
*Part 1*

Crl. Mst. Anticipatory Bail App. No. 240 Of 2025

District.....Agra

Jitendra Kumar

Petitioners / Applicants  
Revisionists / Appellants

VERSUS

State of U.P. & another

Respondents / Opposite Parties

(Signature)  
Gurendra Mahesh  
Sharma)

A/H 2597 / 2013

Date 07/05/2025

Mahesh Kumar Kuntal

Advocate, High Court

Enrollment No.: U.P. 5907/2005

Advocate Roll No.: A/M 0106/2012

Chamber : IIIrd Floor, Tribhuwan Upadhyay Hall

High Court, Allahabad

Resi.: S.J.-10/103, Sugam Vihar Colony


Rajnoppur, Kalindipuram, Prayagraj

E-mail: kuntalmahesh4@gmail.com

Mobile: 9359270814, 9794244456

Counsel for Petitioner / Respondent No. *Applicant*

# HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD UTTAR PRADESH



## Case Token Details

Token No. : 352812025  
CINO : UPHC050087352025  
Case Type : ABAIL  
Advocate Roll No. : A/S2597/2013  
Advocate Name : SURENDRA MOHAN SHARMA  
Advocate Mobile No. : 9759777285  
Petitioner Name. : JITENDRA KUMAR ( Count 1)  
Petitioner Type : INDIVIDUAL  
Pet. Mobile No. :  
Respondent\_Name : STATE OF U.P. AND ANOTHER  
( Count 2)  
Respondent Type : STATE OF U.P.  
Token Date/Time : 07-01-2025 11:50:15  
Print Date : 07-01-2025 11:50:16


Token Generated By : Arun Kumar

\*This Token is system-generated and does not require any signature.



# PROFORMA FOR FRESH FILLING

1	Category	<i>Antrik granting Bail</i>
2	Cognizable by	Single Judge/Division Bench/Large Bench
3	District	Agra
4	Petitioner/Appellant/Applicant	<i>Jitendra Singh</i> Age 26 Gender M Mobile <i>9811111111</i>
5	Respondent	Email <i>M7</i> <i>State of U.P. &amp; another</i> Age <i>NIL</i> Gender <i>M7</i> Mobile <i>M7</i>
6	Petitioner Advocate Name and Roll No.	<i>MAHESH KUMAR KUNITAL</i> <i>Amrolia, 1/2</i>
7	Respondent Advocate Name and Roll No.	<i>State</i>
8	Notice No. (If any)	<i>A-2025/18140</i>
9	Court Fees paid	<i>20/-</i>
10	Number of affidavits attached	<i>One</i>
<b>CRIME DETAILS (If Any)</b>		
11	Crime Number and Year	<i>304 of 2024</i> <i>3/7 E.C. Act</i>
12	Under Sections	
13	Police Station & Crime, District	<i>Kiranwali, Agra.</i>
<b>LOWER/HIGH COURT CASE DETAILS (If Any)</b>		
14	Lower/High Court Case No. details	<i>Anti-Bal APPN No. 6438/2024</i>
15	Lower/High Court Order date	<i>12.12.2024</i>
16	Lower/High Court Order passed by	<i>SPJ. Judge (E.C. Act) AS. J.</i> <i>Ct. no. 4, Agra</i>
<b>EXTRA PARTIES AND ADVOCATES (Additional sheet if required)</b>		
17	Extra Parties (Petitioner)	<i>NIL</i>
18	Extra Parties (Respondent)	<i>S.M. Sharma A/52597/2023</i>
19	Extra Advocates (Pet) (With Roll No)	<i>NIL</i>
20	Extra Advocates (Res) (With Roll No)	
<b>ACT &amp; SECTIONS (Mandatory)</b>		
21	Title of Ac Involved (Central/State)	<i>State</i>
22	Sections	<i>438 (r.P.C.)</i>
23	Title of Rule involved (Central/State)	<i>State</i>
24	(i) Vires of Act/Rule Challenged (Yes/No)	<i>NIL</i>
	Act	
	Rule	
	(ii) Particulars of Case involving similar/identical challenge	<i>Bail Rejection order dt. 12.12.2024</i>
25	Remarks (If any)	<i>(S.M. SHARMA) <sup>Adv.</sup></i> - <i>(MAHESH KUMAR KUNITAL)</i> Advocate Name and Signature



For Stamp Reporter office use only \_\_\_\_\_

CNR No. (Unique ID) \_\_\_\_\_

Reporter \_\_\_\_\_

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

INDEX

IN

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. 240 OF 2025

(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar

-----Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh and another

-----Opposite Parties

Sl. Nos.	Particulars	Date	Annex . Nos.	Page Nos.
1.	Criminal Misc. Anticipatory Bail Application (Under Section 438 Cr.P.C.)			1- 2
2.	Affidavit along with identity proof of the deponent.			3- 13
3.	A free copy of the anticipatory bail rejection order	12.12.2024	1	14- 20
4.	A typed as well as certified copy of the First Information Report	26.10.2024	2	21- 34
5.	Vakalatnama + witness JD			35- 36

Dated: 07/01/2025

*Muntal*  
(Mahesh Kumar Kuntal)

AOR-A/M-0106/12

*S.M.S.*  
(Surendra Mohan Sharma)

AOR-A/S-2597/13

Advocates

Counsels for applicant,  
Ch.3<sup>rd</sup> Floor, T.U. Hall,  
High Court, Allahabad.  
Mobile NO.: 9794244456





Case Crime No. 304 of 2024, under  
Sections 3/7 Essential Commodity  
Act, Police Station- Kirawali,  
District-Agra

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. 240 OF 2025  
(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar, Suspended Seller, S/o Yadram,  
R/o Abhendopura, Police Station-Kirawali,  
District Agra, aged about 26 years.

-----Applicant

Versus

1. State of Uttar Pradesh, through Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Sri Vishal Kumadiya (Supply Inspector), Fatehpur Sikri, Tehsil Kirawali, District Agra.


-----Opposite Parties

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid Court.

The humble application of the applicants, above named, Most Respectfully sheweth as under:-

1. That the detailed facts and circumstances of the case have been explained in the accompanying affidavit, which may be read in support of the present application.
2. That in view of the facts and circumstances explained in the accompanying affidavit it is expedient in



the interest of justice that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the present application and grant the anticipatory bail to the applicant in Case Crime No. 304 of 2024, under Section 3/7 Essential Commodity Act, Police Station-Kirawali, District-Agra, during the pendency of trial before the court below, otherwise the applicant shall suffer irreparable loss and injury.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the present application and grant anticipatory bail to the applicant in Case Crime No. 304 of 2024, under Sections 3/7 Essential Commodity Act, Police Station-Kirawali, District-Agra, during the pendency of trial before the court below.

And/or pass such other and further order(s) in favour of applicant, which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

Dated: 07/01/2025

  
(Mahesh Kumar Kuntal)

AOR-A/M-0106/12

  
(Surendra Mohan Sharma)

AOR-A/S-2597/13

Advocates

Counsels for applicant,  
Ch.3<sup>rd</sup> Floor, T.U. Hall,  
High Court, Allahabad.  
Mobile NO.: 9794244456





IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

AFFIDAVIT

IN

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. \_\_\_\_\_ OF 2025

(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar, Suspended Seller, S/o Yadram,  
R/o Abhendopura, Police Station-Kirawali,  
District Agra, aged about 26 years.

-----Applicant

Versus

1. State of Uttar Pradesh, through Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Sri Vishal Kumadiya (Supply Inspector), Fatehpur Sikri, Tehsil Kirawali, District Agra.

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

VERIFICATION PHOTO	
Advocate Roll :	A/M0106/12
Name :	JITENDRA SINGH
Father's/Husband Name :	YADRAM
Address :	ABHAUDAPURA AGRA UP
Adhar-card	4217 5062 5379
Date/Time :	2024/09/24 10:52 AM
Operator Id:	59
COPIED COPY	

*[A small photograph of Jitendra Singh is pasted on the card.]*

-----Opposite Parties

fidavit of Jitendra Singh, ed about 26 years, S/o dram, R/o Abhaudopura, Agra tar Pradesh.

Religion: Hindu

Occupation: Agriculture.

Adhar No.4217 5062 5379

(Deponent)

I, the deponent above named, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-



*[Handwritten signature]*



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

AFFIDAVIT

IN

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. \_\_\_\_\_ OF 2025

(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar, Suspended Seller, S/o Yadram,  
R/o Abhendopura, Police Station-Kirawali,  
District Agra, aged about 26 years.

-----Applicant

Versus

1. State of Uttar Pradesh, through Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Sri Vishal Kumadiya (Supply Inspector), Fatehpur Sikri, Tehsil Kirawali, District Agra.

-----Opposite Parties

Affidavit of Jitendra Singh,  
aged about 26 years, S/o  
Yadram, R/o Abhendopura, Agra  
Uttar Pradesh.

Religion: Hindu

Occupation: Agriculture.

Adhar No.4217 5062 5379

(Deponent)

I, the deponent above named, do hereby  
solemnly affirm and state on oath as under:-

4

1. That the deponent is sole applicant in the present case and he is fully conversant with the facts of the case deposed to below. The identity proof of the deponent is attached with the present affidavit.
2. That the correct name of the applicant is 'Jitendra Singh' and 'Jitendra Kumar' is his nick name and both are same and one person i.e. the applicant, since in the anticipatory bail rejection order, his name is written as 'Jitendra Kumar', the present anticipatory bail application is being filed with the name of 'Jitendra Kumar'.
3. That the present matter is neither related to CBI/Prevention of Corruption Act/ED/NRHM scam/GPS scam nor related with any MP/MLA.
4. That it is submitted that all the annexures are annexed, as provided by the deponent and the deponent by his all efforts could not manage the better photocopies, hence it is prayed to the learned stamp reporter to lay the present criminal application before this Hon'ble Court as it is.
5. That the true and typed copies of the annexures appended with the affidavit




*Rakesh Patel*

S

filed in support of application are same and there is no difference in the photocopy and typed copy of the annexures.

6. That the applicant apprehend that he would be arrested by the police in pursuance of First Information Report dated 26.10.2024 registered as Case Crime No. 304 of 2024, under Sections 3/7 Essential Commodity Act, Police Station- Kirawali, District- Agra.
7. That the sub-Section (6) of Section 438 CrPC clearly provides that this provision shall not apply (a) to the offences arising out of (i) The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (ii) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, (iii) The Official Secret Act, 1923, (iv) Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities Prevention Act, 1986 (b) in the offence in which death sentence can be awarded and as such the apprehended accusation of the applicant does not fall under the offences provided under sub-Section (6) of Section 438 CrPC.
8. That it is submitted that this is the first anticipatory bail application on behalf of the applicant before this Hon'ble Court in Case Crime No. 304 of 2024, under Sections 3/7 Essential



Commodity Act, Police Station- Kirawali, District-Agra and no any other anticipatory bail application has ever been filed by the applicant before this Hon'ble Court or at Lucknow Bench of this Hon'ble Court or at any other Court of law in India with regard to the aforesaid case.

9. That, the applicant has applied for anticipatory bail application before the learned Special Judge (E.C. Act)/Additional Sessions Judge, Court No.4, Agra and the same has been rejected vide order dated 12.12.2024. A free copy of the anticipatory bail rejection order dated 12.12.2024 is being filed herewith and marked as Annexure No.1 to this affidavit.
10. That the alleged incident was said to have taken place on 24.10.2024 at 15.00 hours and the First Information Report of the same was registered on 26.10.2024 at 16.34 hours by the opposite party no.2 against the applicant. A typed as well as certified copy of the First Information Report dated 26.10.2024 is being filed herewith and marked as Annexure No.2 to this affidavit.



*Rajendra Singh*

11. That from the close perusal of the First Information Report, it is clearly evident that the alleged incident was said to have been taken place on 24.10.2024 at 15.00 hours and the First Information Report of the same was lodged after inordinate delay of two days on 26.10.2024 at 16.34 hours and no plausible reason has been given by the prosecution to explain the delay of two days, specially when the distance of the place of occurrence from the Police Station is just 1 km. This fact itself demonstrate that the present First Information Report is after due thought with ulterior motive.
12. That as per prosecution story, it is alleged by the opposite party no.2 that during the inspection of fair price shop of the applicant, some fair price commodities were found short and the stocks of the wheat, rice and sugar should be 174 packets, 263 packets and 6 packets respectively, but the stocks of the above fair price commodities was found nill upon the fair price shop of the applicant and stock register was not available upon the place of the incident and the applicant was not present at the time of the incident. Hence, the present First Information Report has been lodged against



applicant. Rest of the story would be evident from the bare perusal of the First Information Report itself.

13. That the applicant has not committed any offence as alleged by the first informant and totally a false and concocted story has been developed by the first informant in order to falsely implicate the applicant in the present case.
14. That the distribution of the fair price commodities were regularly made by the applicant and the same was maintained in stock register also, but at the time of the incident, the applicant was not present at his fair price shop and all the inspection was made in his absence and no communication was made by the opposite party no.2 from the applicant, hence the applicant was falsely implicated by the opposite party no.2.
15. That the real fact of the case is that some illegal demand was made by the opposite party no.2 from the applicant for two days before of the alleged incident, but the applicant was denied the same, due to this reason the applicant has been falsely implicated in the present case.



*Rakesh Tripathi*

9

16. That during investigation, the applicant maintained all the commodity stocks of his fair price shop, but no investigation in this regard was made and during investigation, distribution as well as stock register was also provided by the applicant, but no such register was made of the part of the investigation by the concerned Investigating Officer. Hence, no offence Under Section 3/7 of Essential Commodity Act is made out against the applicant.
17. That the fair price shop was conducted by the applicant for last three years, but neither any complaint was made by any of the villagers nor such complaint was registered by the concerned inspection officer and this is the first complaint registered against the applicant.
18. That it is further submitted that during investigation, no any evidence has been collected, which may prove that the applicant has insufficient stocks of the fair price commodities.
19. That the applicant does not have any criminal antecedent and antecedent of the applicant is crystal clear.



19 8/18

20. That from the entire material available on record it would be evident that there is no credible evidence against the applicant and on the contrary the false implication of the applicant is apparent on the face of record.
  
21. That it is further submitted that since the offences leveled against the applicant are punishable below seven years of punishment, in such situation, the applicant is also entitled to be grant of anticipatory bail by this Hon'ble Court.
  
22. That no police report was submitted in this case till date and the investigation is still pending.
  
23. That prima-facie no offence Under Section 3/7 Essential Commodity Act is made out against the applicant.
  
24. That by means of the present affidavit the applicant undertakes to cooperate in early disposal of the matter.
  
25. That the applicant, if enlarged on anticipatory bail, will not abscond or tamper with the evidence nor intimidate the witnesses and is ready to furnish reliable sureties to the satisfaction of the court concerned.



१० अक्टूबर २०१८

26. That it is further submitted that applicant is a permanent resident of Abhendopura, Police Station-Kirawali, District Agra and there is no any chances of his absconding.
27. That in view of the facts and circumstances as stated in the preceding paragraphs, it is expedient in the interest of justice that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the present application and grant anticipatory bail to the applicant in Case Crime No. 304 of 2024, under Sections 3/7 Essential Commodity Act, Police Station-Kirawali, District-Agra, during the pendency of trial before the court below, otherwise the applicant shall suffer irreparable loss and injury.

I, the deponent above named, do hereby declare that the contents of paragraph nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 to 26 of this affidavit are true to my personal knowledge; those of paragraph nos.

— 9, 0 — of this affidavit are based on perusal of papers available on record; those of paragraph nos. — — of this affidavit are based on information received by the deponent and those of paragraph Nos.



मुद्रित दस्तावेज़

12

27 of this affidavit  
are based on legal advice, which all I believe  
to be true and that no part of it is false and  
nothing material has been concealed therein.

SO HELP ME GOD



महेश कुंतल  
DEPONENT

I, Mahesh Kumar Kuntal, Advocate, High Court, Allahabad do hereby identify that the person making this affidavit and alleging to be the deponent is the same person and the deponent is known to me from perusal of papers produced before me in connection with the present case.

Thakur  
ADVOCATE

Solemnly affirmed before me on this day of December 2025 at about 10 A.M./P.M. by the deponent, who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that the deponent has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to the deponent by me.

OATH COMMISSIONER



D P SINGH  
Advocate  
REC'D 19/12/2025  
OAT'D 19/12/2025  
High Court Allahabad  
Sr No 2846  
Date 19/12/2025

महेश कुंतल

13

मारत सरकार  
Government of India

जितेंद्र सिंह  
Jitendra Singh  
जन्म तिथि / DOB : 15/09/1998  
पुरुष / MALE

Document Date 16/01/2022

Issue Date 17/12/2021

4217 5062 5379

मेरा आधार, मेरी पहचान


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राप्तिकरण  
Unique Identification Authority of India  
AADHAAR

पता:  
S/O यादराम, ... अभौदोपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश -  
283122

Address:  
S/O Yadram, ... Abhaudopura, Agra, Uttar  
Pradesh - 283122

4217 5062 5379

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in



जितेंद्र सिंह



14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO.

IN

AFFIDAVIT

IN

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. \_\_\_\_\_ OF 2025

(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar -----Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh and another

-----Opposite Parties

\*\*\*\*\*



१९ जून २०२४

15



UPAGO10137792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ईसी० एकट) /  
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-०४, आगरा।  
उपस्थित : दिनेश तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा-UP 6188  
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६४३८/२०२४

जितेन्द्र कुमार निलम्बित विकेता पुत्र यादराम निवासी-अभेंदोपुरा, थाना  
किरावली, जिला आगरा। उम्र करीब 26 वर्ष।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या-३०४/२०२४  
धारा : ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम  
थाना-किरावली, जिला आगरा।

दिनांक : 12.12.2024

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-३०४/२०२४ अन्तर्गत धारा ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना किरावली, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के शपथपत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा पूर्ति निरीक्षक द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 24.10.2024 को मध्यान 03:00 बजे उचित दर विकेता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के मस्य विकेता की दुकान पर निम्नवत स्टॉक होना चाहिए था। समस्त निम्नवत गणना एमआईएस रिपोर्ट खाद्यान्न उठान व ई पुश वितरण के अनुसार है। गेहूँ/चावल (अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी) अवशेष अगस्त 0.53/19.66/0.72/50.29 अवशेष सितम्बर 0.10/30.94/0.40/46.95 उठान अक्टूबर 0.50/42.00/0.50/42.50 वितरण अक्टूबर 0.42/6.02/0.63/9.03 अवशेष 0.71/86.58/0.99/130.71 उक्त मात्रा के अतिरिक्त विकेता के पास 06 किग्रा० चीनी भी होनी चाहिए। इस प्रकार विकेता की दुकान पर कुल 87.29 कु० गेहूँ (174 कट्टे) व 131.70 कु० चावल (263 कट्टे) होने चाहिए, परन्तु मौके पर दुकान पर गेहूँ निल-० कट्टे व चावल भी निल-० कट्टे तथा चीनी भी निल पायी गयी। इस प्रकार भौतिक सत्यापन किए जाने पर गेहूँ व चावल निर्धारित चौहद्दी पर निल पाए गए।



जितेन्द्र कुमार

पूर्ति निरीक्षक अकोला श्री शंकी राणा, पूर्ति निरीक्षक, फ०सीकरी, विशाल कुमाड़िया द्वारा संयुक्त रूप से मय हमराह श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ सहायक किरावली व श्री प्रशांत कुमार कनिष्ठ सहायक अच्छेनेरा, किरावली के साथ उचित दर विकेता (निरीक्षक) जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अभेदोपुरा, विखो अच्छेनेरा की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर जॉच के समय विकेता के भाई श्री अंशु मौजूद रहे तथा मौके पर ही ईप्स मशीन, ई वेइंग कांटा, चार्जर को उचित दर विकेता के भाई की मौजूदगी में सम्बद्ध उचित दर विकेता श्री हाकिम सिंह को सुपुर्द करा दिया गया है। इस प्रकार जितेन्द्र सिंह उचित दर विकेता (निलम्बित) द्वारा अपने निजी नफा—नाजायज लाभ के चलते गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु) एवं अवशेष 06 किग्रा० चीनी की कालाबाजारी कर दी गयी है।

उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार, निलम्बित विकेता के विरुद्ध थाना किरावली, जिला आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या—304/2024 अन्तर्गत धारा—3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने एवं सामाजिक छवि खराब करने के उददेश्य से झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी को पूर्ण सम्भावना व भय है कि पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए प्रार्थी का उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने दीपावली का त्यौहार होने की वजह से गॉव वालों के अनुरोध पर सामान को सभी राशन धारकों को बांट दिया गया था और ईपोश मशीन खराब होने के कारण ग्राम वासियों के अंगूठा निशानी नहीं लग पाए थे। प्रार्थी ने राशन देने से मना भी किया था पर प्रधान ने प्रार्थी पर दबाव बनाकर पूरा राशन कार्ड धारकों को दिलवा दिया और मशीन ठीक हो जाने के उपरान्त बाद में अंगूठा लगवाने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान अपने वायदे से मुकर गा और कार्ड धारकों के अंगूठा नहीं लगवाए। इसी बीच प्रधान ने प्रार्थी की दुकान को निलम्बित करवा दिया। प्रार्थी ने कोई भी कालाबाजारी नहीं की है। प्रार्थी को प्रधान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह प्रधान के बहकावे में आ गया। कुछ दिन पूर्व प्रधान ने प्रार्थी से कहा था कि उसे 10,000/- रुपए प्रतिमाह तथा दो कट्टे चावल व दो कट्टे गेहूँ दिया करो। प्रार्थी ने मना कर दिया, इसी बात को लेकर प्रधान ने प्रार्थी को फंसाने के उददेश्य से राशन गॉव वालों में बंटवा दिया और प्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट करा दी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा थाने की आख्या प्रस्तुत करके, अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त उचित दर विकेता है जिसकी दुकान निलम्बित की जा चुकी है। निलम्बन के पश्चात वादी द्वारा अभियुक्त की दुकान का स्टॉक चैक किया गया जिसमें स्टॉक पूरा नहीं पाया गया, जिसकी अभियुक्त द्वारा अपने निजी लाभ हेतु कालाबाजारी की गयी है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।



जितेन्द्र सिंह

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा उसकी निलम्बित उचित दर की दुकान पर पर चैकिंग किए जाने पर वांछित स्टॉक पूर्ण नहीं पाया गया तथा गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु0) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 निल पाए गए। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु0) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 की कालाबाजारी करना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा ईपुश मशीन खराब होने के संबंध में कहीं कोई शिकायत आदि किए गए होना तथा जिनका कार्ड धारकों को राशन वितरित करना बताया गया है, उनका वितरण से संबंधित राशन प्राप्त कराने का कोई भौतिक साक्ष्य, प्रपत्र आदि इस स्तर पर दर्शित नहीं किया जा सका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा 93 कार्ड धारकों द्वारा कम राशन देने आदि की शिकायत करना दर्शाया गया है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। प्रथम दृष्ट्या यह समाधान होने का कोई आधार नहीं है कि प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट असद्भावी रूप से झूठी व मात्र परेशान करने के लिए के लिए दर्ज करायी गयी हो।


अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अरोपित अपराध की गम्भीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

### आदेश


अतः प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

(दिनेश तिवारी)

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04  
आगरा।



जितेन्द्र सिंह



UPAG010137792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) /

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04, आगरा।

उपस्थित : दिनेश तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा-UP 6188

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6438/2024

जितेन्द्र कुमार निलम्बित विक्रेता पुत्र यादराम निवासी—अभेंदोपुरा, थाना किरावली, जिला आगरा। उम्र करीब 26 वर्ष।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विष्की

मुकदमा अपराध संख्या-304/2024

धारा : 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

थाना—किरावली, जिला आगरा।

दिनांक : 12.12.2024

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-304/2024 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना किरावली, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के शपथपत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा पूर्ति निरीक्षक द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 24.10.2024 को मध्यान 03:00 बजे उचित दर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के मस्य विक्रेता की दुकान पर निम्नवत स्टॉक होना चाहिए था। समस्त निम्नवत गणना एमआईएस रिपोर्ट खाद्यान्त उठान व ई पुश वितरण के अनुसार है। गेहूँ/चावल (अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी) अवशेष सितम्बर 0.10/30.94/0.40/46.95 उठान अक्टूबर 0.50/42.00/0.50/42.50 वितरण अक्टूबर 0.42/6.02/0.63/9.03 अवशेष 0.71/86.58/0.99/130.71 उक्त मात्रा के अतिरिक्त विक्रेता के पास 06 किग्रा चीनी भी होनी चाहिए। इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर कुल 87.29 कु.0 गेहूँ (174 कट्टे) व 131.70 कु.0 चावल (263 कट्टे) होने चाहिए, परन्तु मौके पर दुकान पर गेहूँ निल-0 कट्टे व चावल भी निल-0 कट्टे तथा चीनी भी निल पायी गयी। इस प्रकार भौतिक सत्यापन किए जाने पर गेहूँ व चावल निर्धारित चौहड़ी पर निल पाए गए। मौके पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.10.2024 को श्री सुनील कुमार, पूर्ति निरीक्षक अच्छेन्द्रा के अस्वस्थ होने के कारण जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के क्रम में

पूर्ति निरीक्षक अकोला श्री शंकी राणा, पूर्ति निरीक्षक, फ०सीकरी, विशाल कुमाडिया द्वारा संयुक्त रूप से मय हमराह श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ सहायक किरावली व श्री प्रशांत कुमार कनिष्ठ सहायक अच्छनेरा, किरावली के साथ उचित दर विकेता (निरीक्षक) जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अभेदोपुरा, विख्य० अच्छनेरा की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर जॉच के समय विकेता के भाई श्री अंशु मौजूद रहे तथा मौके पर ही ईप्स मशीन, ई वेईग कांटा, चार्जर को उचित दर विकेता के भाई की मौजूदगी में सम्बद्ध उचित दर विकेता श्री हाकिम सिंह को सुपुर्द करा दिया गया है। इस प्रकार जितेन्द्र सिंह उचित दर विकेता (निलम्बित) द्वारा अपने निजी नफा-नाजायज लाभ के चलते गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु0) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा० चीनी की कालाबाजारी कर दी गयी है।

उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार, निलम्बित विकेता के विरुद्ध थाना किरावली, जिला आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या—304/2024 अन्तर्गत धारा—3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी को मामले में झूँठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने एवं सामाजिक छवि खराब करने के उद्देश्य से झूँठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी को पूर्ण सम्भावना व भय है कि पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए प्रार्थी का उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने दीपावली का त्यौहार होने की वजह से गाँव वालों के अनुरोध पर सामान को सभी राशन धारकों को बांट दिया गया था और ईपोश मशीन खराब होने के कारण ग्राम वासियों के अंगूठा निशानी नहीं लग पाए थे। प्रार्थी ने राशन देने से मना भी किया था पर प्रधान ने प्रार्थी पर दबाव बनाकर पूरा राशन कार्ड धारकों को दिलवा दिया और मशीन ठीक हो जाने के उपरान्त बाद में अंगूठा लगवाने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान अपने वायदे से मुकर गा और कार्ड धारकों के अंगूठा नहीं लगवाए। इसी बीच प्रधान ने प्रार्थी की दुकान को निलम्बित करवा दिया। प्रार्थी ने कोई भी कालाबाजारी नहीं की है। प्रार्थी को प्रधान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह प्रधान के बहकावे में आ गया। कुछ दिन पूर्व प्रधान ने प्रार्थी से कहा था कि उसे 10,000/- रुपए प्रतिमाह तथा दो कट्टे चावल व दो कट्टे गेहूँ दिया करा। प्रार्थी ने मना कर दिया, इसी बात को लेकर प्रधान ने प्रार्थी को फंसाने के उद्देश्य से राशन गाँव वालों में बंटवा दिया और प्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट करा दी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा थाने की आख्या प्रस्तुत करके, अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त उचित दर विकेता है जिसकी दुकान निलम्बित की जा चुकी है। निलम्बन के पश्चात वादी द्वारा अभियुक्त की दुकान का स्टॉक चैक किया गया जिसमें स्टॉक पूरा नहीं पाया गया, जिसकी अभियुक्त द्वारा अपने निजी लाभ हेतु कालाबाजारी की गयी है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

-5-

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा उसकी निलम्बित उचित दर की दुकान पर पर चैकिंग किए जाने पर वांछित स्टॉक पूर्ण नहीं पाया गया तथा गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु0) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 निल पाए गए। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा गेहूँ 174 कट्टे (मात्रा 87.29 कु0) व चालव 263 कट्टे (मात्रा 131.70 कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 की कालाबाजारी करना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा ईपुश मशीन खराब होने के संबंध में कहीं कोई शिकायत आदि किए गए होना तथा जिनका कार्ड धारकों को राशन वितरित करना बताया गया है, उनका वितरण से संबंधित राशन प्राप्त कराने का कोई भौतिक साक्ष्य, प्रपत्र आदि इस स्तर पर दर्शित नहीं किया जा सका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा 93 कार्ड धारकों द्वारा कम राशन देने आदि की शिकायत करना दर्शाया गया है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। प्रथम दृष्टया यह समाधान होने का कोई आधार नहीं है कि प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट असद्भावी रूप से झूठी व मात्र परेशान करने के लिए लिए दर्ज करायी गयी हो।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अरोपित अपराध की गम्भीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

### आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

-१८-

(दिनेश तिवारी)

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04  
आगरा।

Clerk

16/07/2024

ACM

12/12/2024



21

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. 2

IN

AFFIDAVIT

IN

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

NO. \_\_\_\_\_ OF 2025

(Under Section 438 Cr.P.C.)

DISTRICT :: AGRA

Jitendra Kumar -----Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh and another

-----Opposite Parties

\*\*\*\*\*



१९ जून २०२४

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

(धारा 173 बी एन एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): किरावली Year (वर्ष): 2024  
पश्चिमी (कमिशनरेट आगरा)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0304 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक  
और समय): 26/10/2024 16:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	7
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	3

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 24/10/2024 Date To (दिनांक तक): 24/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/10/2024 Time (समय): 16:34 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 035 Date and Time (दिनांक और समय): 26/10/2024 16:34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और Beat No. (बीट दिशा): दक्षिण, 01 कि. मी. सं.):
- (b) Address (पता): ग्राम अभेदोपुरा,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): श्री विशाल कुमड़िया पूर्ति निरीक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फतेहपुर सीकरी तहसील-किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिशनरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत



2

मिशनरेट

## N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

2	स्थायी पता	फतेहपुर सीकरी तहसील-किरावली , किरावली, पश्चिमी (कमिशनरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	--

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम) विक्रेता श्री	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	निलम्बित विक्रेता श्री जितेन्द्र कुमार			1. ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विठ्ठली, अछनेरा, किरावली, पश्चिमी (कमिशनरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------



12. First Information contents (प्रथम सचिवालयक्षण, थोना-किरावली). जनपद-आगरा। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि वितरण पायी गयी अनियमितता के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विख- अछनेरा, तहसील किरावली के ३ द विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से कार्यालय पत्रांक 788 दिनांक 14/10/2024 के द्वारा निलम्बित करते हुए द्वितीय लिंक शप विक्रेता श्री हाकिम सिंह से सम्बद्ध कर दिया गया एवं विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया कि वह अपने पास रखे अवशेष स्टक, ईपस मशीन, चार्जर एवं ईवेंग काटा को सम्बद्ध उचित दर विक्रेता श्री हाकिम सिंह ग्राम पंचायत-विद्यापुर को, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त श्री जितेन्द्र सिंह उद विक्रेता को निलम्बन आदेश की प्रति 16-10-2024 को तामील करायी जा चुकी है तथा स्टक व अन्य वस्तुएँ जैसे ईपास मशीन चार्जर, एवं ईवेंग काटा उपलब्ध कराने हेतु कहा गया परन्तु विक्रेता द्वारा विगत 08 दिवस हो जाने के उपरान्त भी टाल-मटोल की जा रही है तथा दूरभाष न पर संपर्क करने पर भी उपस्थित नहीं हुआ चूंकि वर्तमान माह अक्टूबर, 2024 का वितरण चल रहा है व जिसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 निर्धारित है उक्त अवधि में वितरण कराया जाना अपरिहार्य है विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह (नि०) ने अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत अभेदोपुरा के कार्डधारक / लाभार्थियों को वितरण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत आज दिनांक 24.10.2024 को मध्यान 03.00 बजे निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर निम्नवत् स्टक होना चाहिए था। समस्त निम्नवत् गणना एमआईएस रिपोर्ट खाद्यान्न उठान व ई पश वितरण के अनुसार है। गेहूं /चावल (अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी / अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी) अवशेष अगस्त 0.53/19.66/0.72/50.29 अवशेष सितम्बर 0.10/30.94/0.40/46.95 उठान अक्टूबर 0.50/42.00/0.50/42.50 वितरण अक्टूबर 0.42/6.02/0.63/9.03 अवशेष 0.71/86.58/0.99/130.71 उक्त मात्रा के अतिरिक्त विक्रेता के पास 06 किंगा चीनी भी होनी चाहिए। इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर कुल 87.29 कु गेहूं (174 कट्टे) व 131.70 कु चावल (263 कट्टे) होने चाहिए। परन्तु मौके पर जितेन्द्र सिंह की दुकान पर गेहूं निल-0 कट्टे व चावल भी निल-0 कट्टे तथा चीनी भी निल पायी गयी। इस प्रकार भौतिक सत्यापन किये जाने पर गेहूं व चावल निर्धारित चौहद्धी पर निल (0) पाये गये मौके पर स्टक रजिस्टर, उपलब्ध नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 24.10.2024 को श्री सुनील कुमार पूर्णि निरीक्षक अछनेरा के अनुस्थ होने के कारण जिला पूर्णि अधिकारी, आगरा द्वारा दिये गये



मौखिक निर्देशों के क्रम में पूर्ति निरीक्षक अकोला श्री शेंकी राणा, पूर्ति निरीक्षक फसीकरी विशाल कुमडिया द्वारा संयुक्त रूप से मय हमराह श्री अनुज शर्मा कनिष्ठ सहायक किरावली व श्री प्रशांत कुमार कनिष्ठ सहायक अछनेरा, किरावली के साथ उचित दर विक्रेता (नि) श्री जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विख-अछनेरा की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया मौके पर जांच के समय विक्रेता के भाई श्री अंशु मौजूद रहे तथा मौके पर ही ईपस मशीन, ई वेईग कांटा, चार्जर को उचित दर विक्रेता के भाई की मौजूदगी में सम्बद्ध उचित दर विक्रेता श्री हाकिम सिंह ग्राम पंचायत विद्यापुर विख अछनेरा, किरावली को सुपुर्द करा दिया गया है। इस प्रकार श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंचायत अभेदोपुरा द्वारा अपने निजी नफा- नाजायज लाभ के चलते गेंहू 174 कट्टे (मात्रा- 87.29 कु0) व चावल 263 कट्टे (मात्रा- 131.70कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 चीनी की कालाबाजारी कर दी गयी है। विक्रेता का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 यथा संशोधित की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो कि आवश्यक वस्तु के (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश 2016 में निहित प्रावधानों एवं अनुबंध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंचायत अभेदोपुरा, विखा-अछनेरा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुमति दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 प्राप्त कर ली गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में कि श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंचायत अभेदोपुरा, विख-अछनेरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। संलग्नक:- 1- जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमति (मूल रूप में)। 2- फर्द बरामदगी/सुपुर्दगीनामा, 02 पृष्ठ (मूल रूप में)। 3- यूपी पीडीएस लेनदेन रिपोर्ट (मूल रूप में)। 4- निरीक्षण टिप्पणी (मूलरूप में)। 5- निलम्बन आदेश की छायाप्रति। एसडी अंग्रेजी अपठनीय शेंकी राणा 26/10/24 (शेंकी राणा) पूर्ति निरीक्षक-अकोला, तहसील-किरावली, आगरा। एसडी अंग्रेजी अपठनीय विशाल कुमडिया 26/10/24 (विशाल कुमडिया) पूर्ति निरीक्षक-फतेहपुर सीकरी। तहसील-किरावली आगरा। तहरीर की नकल मुझ का0 4795 शिवम कुमार के द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप करायी गयी है।

13.

## N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): YOGENDRA SINGH अवर निरीक्षक

No. (सं.): 912150389 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS KIRAWALI  
COMMISSIONERATE AGRA

Rank (पद): I (Inspector)

D No. (संख्या)	7839870599
Reg Date	12/8/2019
OATH C. MANDATORY	✓
Sr No	191821
Date	

प्रियंका सिंह

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)



28

HAKIM SINGH  
Advocate  
Civil Courts, Agra



CRIMINAL  
राकेश कमार

21/12/2024  
2024  
18/12/24  
18/12/24

18/12/24

STATEMENT A.C.S.M. IV<sup>th</sup>, MARCH  
870 P.M. 30/3/2024

QTSV

YS  
CPTT = 3/7/2024  
ATT = 10/10/2024

THIS IS A FIR,  
P.M.D. SVA FIR.



30/3/2024

V.N.

FIRST INFORMATION REPORT

29

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहित के तहत)

1. District (ज़िला):	पश्चिमी कमिश्नरेट आगरा	P.S. (थाना):	किरावली	Year (वर्ष):	2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):	0304	Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय):	26/10/2024 16:34	बजे	

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	3
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	7

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):	गुरुवार	Date From (दिनांक से):	24/10/2024	Date To (दिनांक तक):	24/10/2024
Time Period (समय अवधि):	पहर 5	Time From (समय से):	15:00 बजे	Time To (समय तक):	15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):


Date  
(दिनांक): 26/10/2024 Time (समय): 16:34 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):	035	Date & Time (दिनांक और समय):	26/10/2024 16: 34 बजे
-------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

1



30

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**5.Place of Occurrence (घटनास्थल):**

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 01 Beat No.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा ): किमी (बीट स.):  
 (b) Address ग्राम अभेदोपुरा (पता):

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then**

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

**6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):**

(a) Name (नाम): श्री विशाल कुमड़िया पूर्ति निरीक्षक

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष ): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No., Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1		
---	--	--

**(h) Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फतेहपुर सीकरी तहसील-किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत



2	स्थायी पता	फतेहपुर सीकरी तहसील-किरावली ,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत
---	------------	---

37

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

**7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**

(जात / संटिग्रथ / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

**Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):**

S.No.	Name (नाम) (क्र.सं.)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	निलम्बित विक्रेता श्री जितेन्द्र कुमार			1. ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विडॉ०, अछनेरा ,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश भारत

**8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

**9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No.	Property (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	--

**10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

**11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो ):**

S.No.      UIDB Number

**12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में थाना,ध्यक्ष, थाना-किरावली. जनपट-आगरा। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि वितरण पायी गयी अनियमितता के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विथ- अछनेरा, तहसील किरावली के उ द विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से कार्यालय पत्रांक 788 दिनांक 14/10/2024 के द्वारा निलम्बित करते हुए द्वितीय लिंक शप विक्रेता श्री हाकिम सिंह से सम्बद्ध कर दिया गया एवं विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया कि वह अपने पास रखे अवशेष स्टक, ईप्स मशीन, चार्जर एवं ईवर्डेंग काटा को सम्बद्ध उचित दर विक्रेता श्री हाकिम सिंह

3



**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)**  
**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

ग्राम पंचायत-विद्यापुर को, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त श्री जितेन्द्र सिंह उट विक्रेता को निलम्बन आदेश की प्रति 16-10-2024 को तामील करायी जा चूकी है तथा स्टक व अन्य वस्तुएँ जैसे ईपास मशीन चार्जर, एवं ईवेइंग काटा उपलब्ध कराने हेतु कहा गया परन्तु विक्रेता द्वारा विगत 08 दिवस हो जाने के उपरान्त भी टाल-मटोल की जा रही है तथा दूरभाष न पर संपर्क करने पर भी उपस्थित नहीं हुआ चूंकि वर्तमान माह अक्टूबर, 2024 का वितरण चल रहा है व जिसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 निर्धारित है उक्त अवधि में वितरण कराया जाना अपरिहार्य है विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह (नि0) ने अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत अभेदोपुरा के कार्डधारक / लाभार्थियों को वितरण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दौरान आज दिनांक 24.10.2024 को मध्याह्न 03.00 बजे निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर निम्नवत् स्टक होना चाहिए था। समस्त निम्नवत् गणना एमआईएस रिपोर्ट खाद्यान्न उठान व ई पश वितरण के अनुसार है। गेहूं/चावल (अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी / अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी) अवशेष अगस्त 0.53/19.66/0.72/50.29 अवशेष सितम्बर 0.10/30.94/0.40/46.95 उठान अक्टूबर 0.50/42.00/0.50/42.50 वितरण अक्टूबर 0.42/6.02/0.63/9.03 अवशेष 0.71/86.58/0.99/130.71 उक्त मात्रा के अतिरिक्त विक्रेता के पास 06 किग्रा चीनी भी होनी चाहिए। इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर कुल 87.29 कु गेहूं (174 कट्टे) व 131.70 कु चावल (263 कट्टे) होने चाहिए। परन्तु मौके पर जितेन्द्र सिंह की दुकान पर गेहूं निल-0 कट्टे व चावल भी निल-0 कट्टे तथा चीनी भी निल पायी गयी। इस प्रकार भौतिक सत्यापन किये जाने पर गेहूं व चावल निर्धारित चौहड़ी पर निल (0) पाये गये मौके पर स्टक रजिस्टर, उपलब्ध नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 24.10.2024 को श्री सुनील कुमार पूर्ति निरीक्षक अछनेरा के अस्वस्थ होने के कारण जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में पूर्ति निरीक्षक अकोला श्री शंकी राणा, पूर्ति निरीक्षक फसीकरी विशाल कुमड़िया द्वारा संयुक्त रूप से मय हमराह श्री अनुज शर्मा कनिष्ठ सहायक किरावली व श्री प्रशांत कुमार कनिष्ठ सहायक अछनेरा, किरावली के साथ उचित दर विक्रेता (नि) श्री जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अभेदोपुरा विख-अछनेरा की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया मौके पर जांच के समय विक्रेता के भाई श्री अंशु मौजूद रहे तथा मौके पर ही ईपस मशीन, ई वेइंग काटा, चार्जर को उचित दर विक्रेता के भाई की मौजूदगी में सम्बद्ध उचित दर विक्रेता श्री हाकिम सिंह ग्राम पंचायत विद्यापुर विख अछनेरा, किरावली को सुपुर्द करा दिया गया है। इस प्रकार श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंचायत अभेदोपुरा द्वारा अपने निजी नफा- नाजायज लाभ के चलते गेहूं 174 कट्टे (मात्रा- 87.29 कु0) व चावल 263 कट्टे (मात्रा- 131.70कु0) एवं अवशेष 06 किग्रा0 चीनी की कालाबाजारी कर दी गयी है। विक्रेता का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यथा संशोधित की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो कि आवश्यक वस्तु के (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के

33

विनियमन) आदेश 2016 में निहित प्रावधानों एवं अनुबंध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंयायत अभेदोपुरा, विखा-अछनेरा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुमति दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 प्राप्त कर ली गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में कि श्री जितेन्द्र सिंह उचित दर विक्रेता (निलम्बित) ग्राम पंयायत अभेदोपुरा, विखा-अछनेरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करो। संलग्नक:- 1- जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमति (मूल रूप में)। 2- फर्द बरामदगी/सुपुर्दगीनामा, 02 पृष्ठ (मूल रूप में)। 3- यूपी पीडीएस लेनदेन रिपोर्ट (मूल रूप में)। 4- निरीक्षण टिप्पणी (मूलरूप में)। 5- निलम्बन आदेश की छायाप्रति। एसडी अंग्रेजी अपठनीय शैकी राणा 26/10/24 (शैकी राणा) पूर्ति निरीक्षक-अकोला, तहसील-किरावली, आगरा। एसडी अंग्रेजी अपठनीय विशाल कुमड़िया 26/10/24 (विशाल कुमड़िया) पूर्ति निरीक्षक-फतेहपुर सीकरी। तहसील-किरावली आगरा। तहरीर की नकल मुझ का 0 4795 शिवम कुमार के द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप करायी गयी है।

### 13. Action taken:

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or  
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) YOGENDRA SINGH Rank SI (Sub-Inspector)  
(जांच अधिकारी का नाम): (पट):

No. 912150389 to take up the Investigation  
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):



34

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District

(ज़िला):

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14 Signature/Thumb impression of the  
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KIRAWALI

Rank I (Inspector)


No. 7839870599



PHOTOSTATE BY QUREM  
Words about                   

प्रधान प्राप्तिकर्ता  
क्रमांक 1811214





35

## VAKALATNAMA IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Crl. Misc. Anticipatory Bail No. .... Of 2015

Signature

District..... Agra .....

16-5 RTB

Signature .....

Jitendra SinghPetitioner  
Appellant

VERSUS

State of U.P. & anotherRespondent  
Defendant

I / We Jitendra Singh, S/o Yadram, R/o  
Abhendorpur, P.S. Kirawali, Dist- Agra

Signature .....

Witness

Petitioner / Respondent in the above Petitioner/Appeal/Reference do here by appoint and retain.

**Mahesh Kumar Kuntal** (S.M. SHARMA)  
(महेश कुमार कुन्तल) Adv.  
Advocate, High Court Roll No. A/S 2597/13  
Enrollment No. : U.P. 5907/2005 Enroll No. 0862/2004  
Advocate on Roll No. : A/M-0106/2012

Chamber : IIIrd Floor, Tribhuwan Upadhyay Hall, High Court, Allahabad  
Resi.: S.J. 10/103, Sugam Vihar Colony, Rajrooppur, Kalindipuram, Allahabad  
Mobile: 9359270814, 9794244456, E-mail: kuntalmahesh4@gmail.com

to act and appear for me/us in the above Petition/suit / Appeal / Reference / Revision and on my behalf to conduct and prosecute or (defend ) the same and all proceedings may be taken in respect of any application Connected with the same or any decree or order passed there in, including proceedings in taxation and application for Review, to file and obtain return of document, and to deposit and receive money on my / Our behalf in the said Suit / Appeal / Petition / Reference and in applications of Review and to represent me /us and to take all necessary steps on my behalf in the above matter. I / We agree to Satisfy all acts done by the aforesaid advocate in Pursuace of this authority.

I / we appoint the said lawyer with the above mentioned authorities after setting the fee and agree that what ever shall be done by the said lawyer in connection with the said proceeding shall be binding on me / us.

Dates this the 19/01/2014 Day of 2014


Accepted

(S.M. SHARMA)  
Adv.

Mahesh Kumar Kuntal  
Advocate, High Court  
Counsel for the Petitioner/Resondent Appellant

Amit Singh  
Adv.  
Enroll No. 559/21  
F. No. 8-2015  
S/o Chh. Ram  
Court 12/2015  
For my agree

36



Amit Singh  
Adv.  
UP.10559/21  
5/B Clive Road.  
Civil Lines,  
Prayagraj





AF0006816347



Verified by:  
SANJAY KUMAR DUBEY

Checked by:  
SUMIT BAGHEL



**Court No. - 70**

**Case :- CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438  
CR.P.C. No. - 240 of 2025**

**Applicant :-** Jitendra Kumar

**Opposite Party :-** State of U.P. and Another

**Counsel for Applicant :-** Mahesh Kumar Kuntal, Surendra Mohan Sharma

**Counsel for Opposite Party :-** G.A.

**Hon'ble Deepak Verma,J.**

1. Learned AGA states that he has not received instructions in the matter.
2. List after 10 days as fresh.
3. In the meantime, learned AGA shall obtain instructions.

**Order Date :-** 15.1.2025

SKD

**Court No. - 70**

**Case :-** CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 240 of 2025

**Applicant :-** Jitendra Kumar

**Opposite Party :-** State of U.P. and Another

**Counsel for Applicant :-** Mahesh Kumar Kuntal, Surendra Mohan Sharma

**Counsel for Opposite Party :-** G.A.

**Hon'ble Deepak Verma,J.**

1. Heard learned counsel for the applicant, learned A.G.A. for the State and perused the record.
2. The instant Anticipatory Bail Application has been filed with a prayer to grant anticipatory bail to the applicant in Case Crime No.304 of 2024, under Section 3/7 Essential Commodities Act, Police Station- Kirawali, District Agra.
3. Learned counsel for the applicant submits that the applicant is innocent and has been falsely implicated in the present case. Learned counsel for the applicant next submits that the applicant is running Fair Price Shop since last three years. No complaint whatsoever has been lodged against the applicant. Investigation is going on. Learned counsel for the applicant submits that applicant would cooperate in the investigation.
4. Learned AGA opposed the anticipatory bail prayer of the applicant and submitted that the applicant has one case of criminal history which is not explained in the anticipatory bail application.
5. Considered the argument raised by learned counsel for the applicant. The prayer for anticipatory bail of the applicant is, hereby, refused.
6. However, in view of judgment passed in **Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273**, wherein law has been laid down for arresting a person, which are being reproduced hereinbelow:-

*"Our endeavour in this judgment is to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorize detention casually and mechanically. In order to ensure what we have observed above, we give the following direction:*

*All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41 Cr.P.C.;*

*All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);*

*The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention;*

*The Magistrate while authorizing detention of the accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorize detention;*

*The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing;*

*Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing;*

*Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction.*

*Authorizing detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court.*

*We hasten to add that the directions aforesaid shall not only apply to the cases under Section 498-A of the I.P.C. or Section 4 of the Dowry Prohibition Act, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years; whether with or without fine."*

7. In the recent judgment in the case of **MD. Asfak Alam Vs. The State of Jharkhand and another passed in Criminal Appeal No. (S) 2207 of 2023 decided on 31.07.2023**, the Apex Court has reiterated the guidelines given in the case of Arnesh Kumar (supra).

8. Taking into account the totality of the fact and circumstances of the case and the in the light of the ratio laid down in the case of Arnesh Kumar (supra) and reiterated in the case of MD. Asfak Alam (supra), the freedom of the applicant is protected, provided if the I.O. of the case gives notice to him as provided under Sections 41 and 41(A) of Cr.P.C. and summon the applicant in this case, applicant is obliged to render his fullest cooperation in the investigation.

9. It is made clear that if some credible material is brought on record during investigation against the applicant, then only the I.O. of the case after recording its reason may affect the arrest of the applicant, strictly adhering to the guidelines provided in the case of Arnesh Kumar (supra) and MD. Asfak Alam (supra).

10. With the aforesaid observations, the instant anticipatory bail application stands **disposed off**.

**Order Date :-** 5.2.2025  
SKD